

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-15/11/2018

संख्या-एस०ओ० 1/श्रम न्या० स्थापना-04/17 श्र०सं०.....136/औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उप नियम (2) की धारा 33 (सी) एवं 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं० 1484, दिनांक 26.6.18 द्वारा श्रम न्यायालय, मुंगेर के स्थापना के फलस्वरूप बिहार में कार्यरत 9 श्रम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है :-

क्र० सं०	औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	क्र०	श्रम न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित जिला
1	औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना	1	श्रम न्यायालय, पटना	पटना, नालंदा, भोजपुर, नवादा, बक्सर, जहानाबाद, अरवल
		2	श्रम न्यायालय, डालमियानगर	गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर
		3	श्रम न्यायालय, भागलपुर	भागलपुर, बाँका
		4	श्रम न्यायालय, मुंगेर	मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपूरा
2	औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर	1	श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर
		2	श्रम न्यायालय, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
		3	श्रम न्यायालय, बेगूसराय	बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया
		4	श्रम न्यायालय, मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण
		5	श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया (भागलपुर का नवगछिया अनुमंडल)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15/11/18

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम न्या० स्थापना 04/2017.....136/ श्र०सं० पटना, दिनांक-15/11/2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/दोनों औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी/सभी श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी/बिहार श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

15/11/18

सरकार के उप सचिव।